ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

परीक्षा समिति (04) की कार्यवाही

दिनांक 04.07.2022 को अपराह्न 04:00 बजे सभागार में सम्पन्न परीक्षा समिति (04)की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहें :–

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष।
2.	प्रो0 चंदना डे	–	सदस्य।
3.	प्रो0 एहतेशाम अहमद	–	सदस्य।
4.	प्रो0 फ़खरे आलम	–	सदस्य।
5.	डॉ0 पूनम चौधरी	–	सदस्य।
6.	डॉ0 नीरज शुक्ल	–	सदस्य।
7.	श्री अजय कृष्ण यादव, कुलसचिव	–	सदस्य।
8.	डॉ0 अताउर रहमान आज़मी, उप परीक्षा नियंत्रक	–	विशेष आमंत्रित सदस्य।
9.	डॉ0 भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य सचिव।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त सदस्यगण का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारभ किये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक को निर्देशित किया गया। तदक्रम में परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर परीक्षा समिति द्वारा बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

बिन्दु सं0–1 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24, मई 2022 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टीकरण पर विचार।

परीक्षा समिति द्वारा पूर्व में सम्पन्न बैठक दिनांक 24, मई 2022 की कार्यवाही को यथावत् सम्पुष्ट किया गया।

बिन्दु सं0–2 अनुचित साधन प्रयोग के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित निर्देश तथा दण्ड विवरणिका को समिति के सम्मुख संसूचित किया जाना।

परीक्षा समिति ने अनुचित साधन प्रयोग से सम्बंधित तैयार दिशा निर्देश तथा दण्ड विवरणिका पर विचार विमर्श किया तथा समिति द्वारा संस्तुत निर्देशों को अनुमोदित किया गया।

परीक्षा समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि बिन्दु सं0–08 पर अंकित निर्देश पर पुर्नविचार कर यह स्पष्ट कर लिया जाये कि यदि UFM समिति को अनुचित साधन प्रयोग के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य प्राप्त नही होता है तो विद्यार्थी की "A" (अनुचित साधन प्रयोग में सील की गयी उत्तर पुस्तिका) एवं "B" (अनुचित साधन प्रयोग में पकडे जाने के उपरान्त दी गयी दूसरी उत्तर पुस्तिका) दोनो उत्तर पुस्तिकाऐं मूल्यांकित की जाएगी। इस सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।

Bmisha

बिन्दु सं0–3 सत्र 2021–22 के विषम सेमेस्टर में जो विद्यार्थी अपने आंतरिक परीक्षाओं में किसी कारण अनुत्तीण हो गये अथवा अनुपस्थित होने के कारण विषम सेमेस्टर का परीक्षाफल अनुत्तीर्ण घोषित हो गया तथा सत्र 2021–22 के सम सेमेस्टर परीक्षाओं में जो विद्यार्थी परीक्षा फार्म नही भर पाये थे तथा जो विद्यार्थी अपना सेमेस्टर शुल्क जमा नही कर पाये थे के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुतियों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्राप्त अनुमोदन से समिति को संसूचित किया जाना।

परीक्षा समिति द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिगत समिति की संस्तुतियों को केवल सत्र 2021–22 में सम्पादित कराये जाने हेतु अनुमोदित किया गया। भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त आवेदनों में 'युक्ति–युक्त'' (JUSTIFIED) के मानक निर्धारित करने हेतु समिति द्वारा परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।

बिन्दु सं0–4 उ0प्र0 शासन से ग्रेडिंग के सम्बन्ध में प्राप्त निर्देशों को सत्र 2022–23 से समस्त स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्राप्त अनुमोदन से समिति को संसूचित किया जाना।

परीक्षा समिति द्वारा सम्बंधित प्रकरण के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुतियों के आलोक में सत्र 2022–23 से समस्त स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में उ0प्र0 शासन से प्राप्त ग्रेडिंग व्यवस्था लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Bmishra

(डॉ0 भावना मिश्रा)
परीक्षा नियंत्रक / सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष